प्रेस नोट दिनांक 14.04.2025
थाना बारादरी जनपद बरेली।

थाना बारादरी #bareillypolice द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान गौकशी के अभियोग में वांछित 01 शातिर अभियुक्त घायल अवस्था में किया गया गिरफ्तार, मौके से अवैध तमंचा कारतूस, स्कूटी व गौकशी करने में प्रयुक्त औजार बरामद।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बारादरी के नेतृत्व में थाना बारादरी पुलिस टीम द्वारा थाना बारादरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0345/25 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 में एक वांछित/शातिर अभियुक्त कासिम उर्फ सानू पुत्र नाजिम कसाई निवासी कसाई टोला थाना बारादरी जिला बरेली को दिनांक 13/14.04.2025 की रात्रि में पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण-

दिनांक 11.04.2025 को थाना बारादरी क्षेत्रान्तर्गत मौ0 कटरा चांद खां वसीम के घर प्रतिबन्धित गौवंशीय पशु को काटा गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना बारादरी, बरेली पर मु0अ0सं0 345/2025 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधि0 बनाम वसीम अहमद आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया था। इस घटना में सम्मिलित/वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी।

दिनांक 13/14.04.2025 की रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त में वांछित कासिम उर्फ सानू पुत्र नाजिम कसाई निवासी कसाई टोला थाना बारादरी जिला बरेली एक सफेद स्कूटी नं0- UP25CW3566 से भरतौल रोड से हरुनगला की ओर जाने वाले रास्ते पर गोदाम के पास खड़ा है तथा किसी अन्य घटना करने की फिराक में है। सूचना पर थाना बारादरी पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर स्कूटी पर बैठे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो उक्त व्यक्ति स्कूटी गिराकर भागने लगा तथा जान से मारने की नीयत से तमंचा निकाल कर पुलिस पार्टी पर फायर करने लगा। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्यवाही में थाना बारादरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 345/2025 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 में वांछित कासिम उर्फ सानू उपरोक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान दाहिने पैर में गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। मौके पर 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा मिस कारतूस, 01 स्कूटी नं0 UP25CW3566 तथा गौकशी की घटना कारित करने में प्रयुक्त 01 बांका लोहा, 02 छुरी, 03 रस्सी, 04 प्लास्टिक के कट्टे बरामद हुये हैं। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल बरेली भेजा गया है। इस सम्बन्ध में अभियुक्त कासिम उर्फ सानू उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 357/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार समय से पेश किया जायेगा।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/आपराधिक इतिहास-

1. **कासिम उर्फ सानू पुत्र नाजिम कसाई निवासी कसाई टोला थाना बारादरी जिला बरेली।**
    1. मु0अ0सं0 35/22 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना कोतवाली जनपद बरेली।
    2. मु0अ0सं0 309/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना कोतवाली जनपद बरेली।
    3. मु0अ0सं0 969/23 धारा 382/411/457 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बारादरी जनपद बरेली।
    4. मु0अ0सं0 345/2025 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधि0 थाना बारादरी जनपद बरेली।
    5. मु0अ0सं0 357/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बारादरी जनपद बरेली।

<u>बरामदगी –</u>

1. 01 तमंचा 315 बोर,
2. 01 जिन्दा मिस कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर,
3. गौकशी की घटना करने में प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरण (01 बांका लोहा, 02 छुरी, 03 रस्सी, 04 प्लास्टिक के कट्टे)
4. एक स्कूटी (नं0 UP25CW3566)

<u>पुलिस टीम-</u>

1. प्र0नि0 श्री धनन्जय पाण्डेय थाना बारादरी जनपद बरेली।
2. उ0नि0 श्री महावीर सिंह थाना बारादरी जनपद बरेली।
3. उ0नि0 श्री गौरव कुमार अत्री थाना बारादरी जनपद बरेली।
4. उ0नि0 श्री जगत सिंह थाना बारादरी जनपद बरेली।
5. हे0कां0534 आशीष मिश्रा थाना बारादरी जनपद बरेली।
6. हे0कां033 साबिर अली थाना बारादरी जनपद बरेली।
7. कां02893 सिद्धान्त चौधरी थाना बारादरी जनपद बरेली।
8. कां03519 कुर्बान अली थाना बारादरी जनपद बरेली।
9. कां0555 दीपांशु पोसवाल़ थाना बारादरी जनपद बरेली।